



उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1
संख्या-36/2026/834/78-1-2026-45/2026
लखनऊ: दिनांक: 22-07-2026
कार्यालय-जाप

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या:-763/78-1-2026-45/2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त नीति में **सशक्त समिति (EC)** के गठन का प्राविधान है।

2- सशक्त समिति (EC) स्टार्टअप नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने तथा नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit-PIU) द्वारा संदर्भित विषयों पर विचार कर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होगी।

3- समिति विभिन्न विभागों के मध्य नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगी। विशेष रूप से यह इनक्यूबेटरों की स्थापना, क्षेत्र-विशिष्ट निधियों (Sectoral Funds) के सृजन, विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों के माध्यम से स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में स्थापित करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करेगी।

4- समिति इनक्यूबेटरों के आवधिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators-KPIs) को अनुमोदित करेगी। ऐसे मूल्यांकन किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कराए जाएंगे।

5- इसके अतिरिक्त, समिति सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (Centres of Excellence) हेतु अनुदान सहायता (Grant-in-Aid) के प्रस्तावों, डीप-टेक स्टार्टअप्स (Deep-Tech Startups) के लिए पेशेंस कैपिटल (Patience Capital) सहायता तथा गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification) एवं पेटेंट फाइलिंग व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित विशेष प्रकरणों की माननीय मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ संस्तुति करेगी।

6- सशक्त समिति को नीति के प्रावधानों के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं व्याख्या प्रदान करने, नीति के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर नीति में संशोधन किए जाने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होगा। उक्त समिति की संरचना निम्नवत है:-

क्र०सं०	सदस्य	भूमिका
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कौशल व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर (जी0एस0टी0) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
15	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यूपी स्टार्टअप मिशन	सदस्य सचिव

टिप्पणी:1 समिति में उपर्युक्त विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। आवश्यकता अनुसार, सशक्त समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अन्य विभागों के प्रतिनिधियों को भी समिति में सम्मिलित किया जा सकेगा।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), यूपी स्टार्टअप मिशन की नियमित नियुक्ति होने तक, प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी समिति के सदस्य सचिव के रूप में करेंगे।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- समिति के सदस्यगण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,
समीर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।